न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 25/2020
जी.सी.एम.एस. : 2020/00293

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
जीवनसिंह पुत्र जोरसिंह जाति राजपूत निवासी पाचवा कलां तहसील सोजत जिला पाली		1. नायब तहसीलदार सोजत 2. गोविन्द सिंह पुत्र जोरसिंह 3. सज्जनसिंह पुत्र जोरसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण तहसील सोजत जिला पाली

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम सिंह दहिया।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना सरकारी पैरोकार।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 30/12/2024

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नायब तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत ग्राम पाचवा कलां के नामान्तरकरण संख्या 161 दिनांक 03.05.1981 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट बावजूद सम्मन तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अभिभाषक अपीलाण्ट एवं सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मौजा पांचवा कलां में स्थित खसरा संख्या 32 रकबा 0.4200 हैक्टेयर, खसरा संख्या 456 रकबा 1.9500 हैक्टेयर, खसरा संख्या 472 रकबा 3.0500 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 564 रकबा 2.0800 हैक्टेयर की भूमि जोर सिंह पुत्र सुल्तानसिंह की खातेदारी भूमि रही। जोरसिंह के तीन पुत्र गोवन्दि सिंह, सज्जनसिंह, जीवनसिंह है लेकिन जोरसिंह के देहान्त के उपरान्त जैर आराजी में जीवनसिंह के स्थान पर पपुसिंह के नाम से जैर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया, जबकि अपीलाण्ट के समस्त दस्तावेजात में उसका नाम जीवंनसिंह ही अंकित है। इसलिये जैर अपील जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, विधिविरूद्ध तरीके से स्वीकृत अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया

अति. जिला कलेक्टर पाली

गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं अधीनस्थ न्यायालय के मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 1981 में दर्ज किया है। नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाता है। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह कथन किया गया है कि अपीलाण्ट का नाम पपूसिंह पुत्र जोरसिंह न होकर जीवनसिंह पुत्र जोरसिंह है तथा घर परिवार में उन्हें उम्मेदाराम के नाम से संबोधित किया जाता है परन्तु अपीलाण्ट के समस्त सरकारी दस्तावेज़ यथा पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, कक्षा 10 की अंकतालिका, कक्षा 12 की अंकतालिका, बैक पासबुक आदि जीवनसिंह पुत्र जोरसिंह के नाम से है। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि के अवलोकन से भी यह ज्ञात होता है कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम जीवनसिंह पुत्र जोरसिंह है।

इसके अतिरिक्त हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने दिनांक 04.12.2024 को राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट का वास्तविक नाम जीवनसिंह है तथा घर में पपूसिंह के नाम से बुलाते थे इसलिये यदि जैर नामान्तरकरण में अपीलाण्ट का नाम संशोधित किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नहीं है। जिससे भी यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट जीवनसिंह पुत्र जोरसिंह एवं पपूसिंह पुत्र जोरसिंह एक ही व्यक्ति है। नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानी पूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा महसूस होता है कि हल्का पटवारी एवं राजस्व कार्मिकों ने ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत ग्राम पांचवाकला तहसील सोजत के नामान्तरकरण संख्या 161 दिनांक 03.05.1981 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण नायब तहसीलदार सोजत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समूचित सुनवाई का अवसर देते हुए मृतक जोरसिंह के विधिक वारिसान एवं दस्तावेजो की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली